शोधामृत
(कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका)

ISSN : 3048-9296 (Online)
3049-2890 (Print)
IIFS Impact Factor-4.0
Vol.-3; issue-1 (Jan.-March) 2026
Page No- 98-107
©2026 Shodhaamrit
https://shodhaamrit.gyanvividha.com

Author's :

Rakesh Kumar
(Research Scholar) Department of Special Education, Nehru Gram Bharati University, Kotwa-Jamunipur Dubawal, Allahabad (Prayagraj) U.P.

Corresponding Author :

Rakesh Kumar
(Research Scholar) Department of Special Education, Nehru Gram Bharati University, Kotwa-Jamunipur Dubawal, Allahabad (Prayagraj) U.P.

श्रवण बाधित विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संदर्भ में उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन

सारांश : प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य प्रयागराज जनपद के विशेष संदर्भ में श्रवण बाधित विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनकी उपलब्धि अभिप्रेरणा के मध्य अंतर्संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। शोध में मात्रात्मक उपागम और विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। शोध के निष्कर्ष प्रमाणित करते हैं कि उच्च सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले श्रवण बाधित विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर, निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की तुलना में सार्थक रूप से उच्च होता है। पारिवारिक आय, शैक्षिक संसाधन और प्रारंभिक चिकित्सा हस्तक्षेप विद्यार्थी के मनोवैज्ञानिक विकास और शैक्षिक ललक को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। यह अध्ययन समावेशी शिक्षा नीतियों को सुदृढ़ करने और निम्न आय वर्ग के दिव्यांग बालकों हेतु विशेष संस्थागत और आर्थिक सहयोग की संस्तुति करता है।

मुख्य शब्द: श्रवण बाधिता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, उपलब्धि अभिप्रेरणा, समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बालक, प्रयागराज।

अध्ययन की वैचारिक एवं दार्शनिक प्रस्तावना : शिक्षा मानव सभ्यता के विकास, सांस्कृतिक हस्तांतरण और वैयक्तिक उत्थान का सबसे सशक्त माध्यम है। आधुनिक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में 'सभी के लिए शिक्षा' (यूनिवर्सल एजुकेशन) और 'समावेशी शिक्षा' (इन्क्लूसिव एजुकेशन) के सिद्धांतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन यह है कि समाज के प्रत्येक बालक को, चाहे वह शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या आर्थिक रूप से किसी भी अक्षमता या विषमता का शिकार क्यों न हो, शिक्षा की मुख्यधारा में समान अवसर प्राप्त होने चाहिए । इस वैचारिक परिप्रेक्ष्य में, विशेष आवश्यकता वाले बालकों, विशेषकर श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा, उनके मनोवैज्ञानिक विकास और उनके सामाजिक-आर्थिक

परिवेश का अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक और युगानुकूल हो जाता है।

श्रवण बाधिता (हियरिंग इम्पेयरमेंट) एक ऐसी अदृश्य और मौन अक्षमता है, जो बालक की श्रवण क्षमता को आंशिक या पूर्ण रूप से नकारात्मक दिशा में प्रभावित करने के साथ-साथ उसकी वाणी, भाषा के विकास, संप्रेषण कौशल और साक्षरता ग्रहण करने की क्षमता पर अत्यंत गंभीर और दीर्घकालिक विपरीत प्रभाव डालती है। संप्रेषण के अभाव में श्रवण बाधित बालकों का सामाजिकरण और भावनात्मक विकास अक्सर अवरुद्ध हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनमें हीन भावना, अलगाव और शैक्षिक पिछड़ापन जन्म लेने लगता है। किसी भी विद्यार्थी की शैक्षिक यात्रा में सफलता प्राप्त करने के पीछे उसकी 'उपलब्धि अभिप्रेरणा' (अचीवमेंट मोटिवेशन) एक अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा वह आंतरिक और अर्जित मनोवैज्ञानिक रचना है जो व्यक्ति को उत्कृष्टता के निर्धारित मानकों को प्राप्त करने, मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने, और निरंतर सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है।

तथापि, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के अंतःविषय अध्ययनों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि किसी भी विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा शून्य या निर्वात में विकसित नहीं होती है। यह उसके पारिवारिक पर्यावरण, माता-पिता के शिक्षा स्तर, उनके व्यवसाय, परिवार की आय और समाज में उनकी प्रतिष्ठा-अर्थात उसकी समग्र 'सामाजिक-आर्थिक स्थिति' (सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस) से अत्यंत गहराई से अंतर्गुंफित होती है। विशेष रूप से श्रवण बाधित विद्यार्थियों के संदर्भ में, पारिवारिक पृष्ठभूमि और आर्थिक संसाधन उनके श्रवण दोष के प्रारंभिक निदान, आवश्यक चिकित्सा (जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट या अत्याधुनिक श्रवण यंत्रों की उपलब्धता), और विशेष शिक्षा एवं प्रशिक्षण तक उनकी पहुंच को सीधे तौर पर निर्धारित करते हैं।

प्रस्तुत शोध प्रतिवेदन का मुख्य ध्येय उत्तर प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद 'प्रयागराज' के विशेष संदर्भ में, श्रवण बाधित विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनकी उपलब्धि अभिप्रेरणा के मध्य विद्यमान जटिल अंतर्संबंधों का गहन, सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है। यह अध्ययन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, समाजशास्त्रीय चरों, शैक्षिक नीतियों और सांख्यिकीय मापदंडों के आधार पर इस संवेदनशील विषय की विस्तृत मीमांसा करता है, ताकि नीति-निर्माताओं और शिक्षाविदों के समक्ष एक स्पष्ट और साक्ष्य-आधारित रूपरेखा प्रस्तुत की जा सके।

श्रवण बाधिता की संकल्पना, कारण एवं शैक्षिक चुनौतियाँ

श्रवण बाधिता का अर्थ एवं वर्गीकरण : चिकित्सा विज्ञान और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में, श्रवण बाधिता से तात्पर्य श्रवण तंत्र के किसी भी भाग में उत्पन्न उस संरचनात्मक या कार्यात्मक दोष से है, जिसके कारण व्यक्ति ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने, उन्हें मस्तिष्क तक संप्रेषित करने और उनकी सही व्याख्या करने में अक्षम हो जाता है। श्रवण दोष की गंभीरता के आधार पर इसे विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय पुनर्वास परिषद के मानकों के अनुसार, इसे आंशिक (माइल्ड), मध्यम (मॉडरेट), गंभीर (सीवियर), और अति गंभीर (प्रोफाउंड) श्रवण बाधिता के रूप में मापा जाता है । 'गंभीर से अति गंभीर' श्रवण बाधिता वाले बालकों को सामान्य ध्वनि या उच्च स्वर में कही गई बातें भी सुनाई नहीं देती हैं, जिसके लिए उन्हें सांकेतिक भाषा या विशेष उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ता है।

श्रवण बाधिता के प्रमुख कारक : मनुष्य में श्रवण दोष जन्मजात (आनुवंशिक) हो सकता है अथवा जन्म के पश्चात जीवन के किसी भी चरण में अर्जित किया जा सकता है। इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- **जन्मजात एवं गर्भावस्था के कारक:** माता को गर्भावस्था के दौरान होने वाले संक्रमण (जैसे रुबेला), कुपोषण, या जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी।
- **शारीरिक बीमारियां एवं संक्रमण:** बचपन में खसरा, कण्थमाला (मम्प्स), और मध्य कान का जीर्ण

संक्रमण (क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया) श्रवण तंत्र को स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

- **ध्वनि प्रदूषण एवं दुर्घटनाएं:** लगातार उच्च ध्वनि वाले वातावरण में रहना, जिससे कर्ण पटल (कान का पर्दा) क्षतिग्रस्त हो जाता है। किसी नुकीली वस्तु (लकड़ी या पिन) से कान साफ करते समय अनजाने में होने वाली दुर्घटनाएं भी श्रवण दोष उत्पन्न करती हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक विषमता:** चिकित्सा शोधों से यह तथ्य सामने आया है कि निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में कुपोषण और स्वच्छता के अभाव के कारण बच्चों में श्रवण दोष विकसित होने का जोखिम कहीं अधिक होता है ।

श्रवण बाधित बालकों की मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक चुनौतियाँ : श्रवण दोष मात्र सुनने की अक्षमता नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी समस्या है जो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। श्रवण बाधित बच्चों का भाषा विकास अत्यंत धीमी गति से होता है। भाषा के अभाव में वे अपने विचारों, भावनाओं और आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहते हैं, जिससे उनमें कुंठा और क्रोध जन्म लेता है । कक्षा-कक्ष के वातावरण में, जहाँ शिक्षण मुख्य रूप से मौखिक व्याख्यान पर आधारित होता है, ये विद्यार्थी स्वयं को कटा हुआ महसूस करते हैं। जब तक विशेष शिक्षकों द्वारा 'भारतीय सांकेतिक भाषा' या 'ओष्ठ पठन' (लिप रीडिंग) का प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक इन विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का स्तर अत्यंत निम्न रहता है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (दो हज़ार बीस) के विशेष शैक्षिक प्रावधान : श्रवण बाधित विद्यार्थियों की इन गंभीर चुनौतियों को संज्ञान में लेते हुए, भारत सरकार की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (दो हज़ार बीस) में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अनेक क्रांतिकारी और दूरगामी प्रावधान किए गए हैं :

- **भारतीय सांकेतिक भाषा का मानकीकरण:** श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए संचार के प्राथमिक साधन के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा को मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) तथा भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के मध्य एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इसके अंतर्गत कक्षा एक से बारहवीं तक की सभी पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्रियों का भारतीय सांकेतिक भाषा में अनुवाद किया जा रहा है ।
- **शिक्षक सशक्तिकरण एवं ई-सामग्री:** शिक्षा नीति शिक्षकों को परिवर्तन का मुख्य स्रोत मानती है। 'पीएम ई-विद्या' कार्यक्रम के तहत विशेष शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण, इंटरैक्टिव वीडियो, ऑडियोबुक और डिजिटल अध्ययन सामग्री का राष्ट्रीय भंडार (दीक्षा पोर्टल पर) विकसित किया जा रहा है ।
- **बुनियादी साक्षरता पर बल:** प्रारंभिक वर्षों में श्रवण बाधित बच्चों के भाषा विकास में होने वाली देरी को रोकने के लिए, मूलभूत स्तर (फाउंडेशनल स्टेज) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

उपलब्धि अभिप्रेरणा की सैद्धांतिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि : किसी भी शोध के केंद्र में उस चर का गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक होता है, जिसका अध्ययन किया जा रहा हो। इस शोध में 'उपलब्धि अभिप्रेरणा' वह केंद्रीय आश्रित चर है, जो श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक दिशा तय करता है।

अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषाएं : मनोविज्ञान के क्षेत्र में 'अभिप्रेरणा' शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द 'मूवर' से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गति प्रदान करना, क्रियाशीलता, या आगे की ओर बढ़ना । अभिप्रेरणा वह आतंरिक अवस्था या ऊर्जा है जो व्यक्ति के व्यवहार को उद्दीप्त करती है, उसे एक विशेष दिशा में निर्देशित करती है, और तब तक बनाए रखती है जब तक कि निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए ।

भारतीय शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने भी अभिप्रेरणा को अधिगम की अनिवार्य शर्त माना है। प्रख्यात शिक्षा मनोवैज्ञानिक डॉ. एस. के. मंगल और डॉ. अरुण कुमार सिंह के विस्तृत साहित्य के अनुसार, मनोविज्ञान मानव आचरण, व्यवहार और अनुभवों का यथार्थ विज्ञान है, जिसमें अभिप्रेरणा वह गामक शक्ति है जो अधिगमकर्ता को नवीन अवधारणाओं को समझने, कौशलों का अर्जन करने और सकारात्मक अभिवृत्तियों को

विकसित करने के लिए प्रेरित करती है । मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आवश्यकता (नीड), अंतर्नोद (ड्राइव), और उद्दीपक (स्टिमुलस) अभिप्रेरणा चक्र के तीन प्रमुख घटक हैं ।

उपलब्धि अभिप्रेरणा की विशिष्ट संकल्पना : अभिप्रेरणा के व्यापक क्षेत्र में 'उपलब्धि अभिप्रेरणा' एक अत्यंत विशिष्ट और उच्च स्तरीय अवधारणा है। मरे (उन्नीस सौ अड़तीस) के अनुसार, उपलब्धि अभिप्रेरणा भौतिक वस्तुओं, मनुष्यों या विचारों पर महारत हासिल करने, उनका कुशलतापूर्वक हेरफेर करने, बाधाओं पर विजय प्राप्त करने, और दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर उच्च मानक स्थापित करने की तीव्र इच्छा है । यह सफलता प्राप्त करने की ललक और असफलता से बचने के प्रेरक का एक संतुलित मनोवैज्ञानिक मिश्रण है । श्रवण बाधित विद्यार्थियों के जीवन में उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर ही यह तय करता है कि वे अपनी श्रवण अक्षमता को एक अभिशाप मानकर हार मान लेंगे, या इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर अकादमिक और व्यावसायिक सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे।

अभिप्रेरणा के प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं उनका अनुप्रयोग : श्रवण बाधित विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को समझने के लिए निम्नलिखित विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विश्लेषण अपरिहार्य है:

1. डेविड मैकक्लेलैंड का उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत (त्रि-आवश्यकता सिद्धांत) : अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेविड मैकक्लेलैंड ने अभिप्रेरणा का सबसे प्रामाणिक 'उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत' प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, यह अभिप्रेरणा जन्मजात नहीं होती, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश और प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा और विकसित किया जा सकता है। उन्होंने मानव व्यवहार को संचालित करने वाली तीन प्रमुख आवश्यकताओं की पहचान की :

- **उपलब्धि की आवश्यकता:** उत्कृष्टता प्राप्त करने, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने और सोचे-समझे जोखिम लेने की इच्छा। श्रवण बाधित विद्यार्थियों में यदि यह आवश्यकता उच्च हो, तो वे अपनी संप्रेषण बाधाओं को पार कर कक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं।
- **शक्ति की आवश्यकता:** अपने पर्यावरण और अन्य व्यक्तियों को प्रभावित तथा नियंत्रित करने की इच्छा।
- **संबद्धता की आवश्यकता:** मैत्रीपूर्ण, सहायक संबंधों और सामाजिक संपर्कों की आकांक्षा। श्रवण बाधित बालकों के लिए यह आवश्यकता सबसे अधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि संप्रेषण की कमी के कारण वे अक्सर समाज और सहपाठियों से कट जाते हैं। यदि विद्यालय का वातावरण उन्हें संबद्धता और स्वीकार्यता प्रदान करता है, तो उनकी उपलब्धि अभिप्रेरणा स्वतः ही बढ़ जाती है।

2. अब्राहम मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत : मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं एक पदानुक्रम (हाइरार्की) में व्यवस्थित होती हैं। सबसे निचले स्तर पर शारीरिक आवश्यकताएं (भोजन, जल) और सुरक्षा आवश्यकताएं होती हैं। इनके पूर्ण होने पर सामाजिक आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकता, और अंततः 'आत्म-सिद्धि' (सेल्फ-एक्चुअलाइजेशन) की आवश्यकता उत्पन्न होती है । श्रवण बाधित विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में, यदि कोई विद्यार्थी निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है, जहाँ उसकी मूलभूत शारीरिक आवश्यकताएं (उचित पोषण) और सुरक्षा आवश्यकताएं (श्रवण यंत्र की उपलब्धता) ही पूरी नहीं हो रही हैं, तो वह 'सम्मान' और 'शैक्षिक उपलब्धि' के उच्च स्तर तक मनोवैज्ञानिक रूप से पहुंच ही नहीं पाता । अतः, उपलब्धि अभिप्रेरणा के विकास के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रथम शर्त है।

3. विक्टर व्रूम का अपेक्षा सिद्धांत : व्रूम का यह संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रेरणा को तीन प्रमुख तत्वों का परिणाम मानता है: अपेक्षा (मेहनत से अच्छा प्रदर्शन होगा), कारगरता (अच्छे प्रदर्शन से पुरस्कार मिलेगा), और मूल्य (वह पुरस्कार विद्यार्थी के लिए मूल्यवान है) , यदि समाज में व्याप्त रूढ़िवाद और विकलांगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण एक श्रवण बाधित विद्यार्थी यह मान लेता है कि उसकी कठोर शैक्षिक मेहनत के बाद भी उसे समाज में उचित रोजगार या सम्मान (पुरस्कार) नहीं मिलेगा, तो उसकी 'कारगरता' की भावना शून्य हो जाती है, जिससे उसकी समग्र शैक्षिक अभिप्रेरणा समाप्त हो जाती है।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अवधारणात्मक ढांचा और शैक्षिक प्रभाव : किसी भी राष्ट्र या समाज में शिक्षा का प्रसार और उसकी गुणवत्ता काफी हद तक वहां की सामाजिक-आर्थिक संरचना पर निर्भर करती है। प्रस्तुत शोध में 'सामाजिक-आर्थिक स्थिति' वह स्वतंत्र चर है, जिसके परिप्रेक्ष्य में उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल्यांकन किया जा रहा है।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अर्थ और घटक : सामाजिक-आर्थिक स्थिति (एस.ई.एस.) किसी व्यक्ति, परिवार या समूह की संपूर्ण सामाजिक संरचना में उसकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत को दर्शाने वाला एक अत्यंत व्यापक और जटिल संकेतक है । यह केवल धन या बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संसाधनों तक पहुंच, शक्ति, और सामाजिक विशेषाधिकारों का मापदंड है। इसे मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन घटकों के आधार पर परिभाषित किया जाता है:

1. **आर्थिक स्थिति:** इसके अंतर्गत परिवार की कुल मासिक या वार्षिक आय, संचित संपत्ति, आवास की स्थिति, और वित्तीय संसाधनों की प्रचुरता शामिल होती है।
2. **सामाजिक स्थिति:** यह परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों के शिक्षा स्तर, समाज में उनकी प्रतिष्ठा, जातिगत पृष्ठभूमि, और सांस्कृतिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है।
3. **व्यावसायिक स्थिति:** परिवार के सदस्यों का रोजगार स्वरूप (कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल श्रमिक, या उच्च स्तरीय प्रशासनिक पद) और उस पेशे को समाज में मिलने वाली मान्यता।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति के मापन हेतु मानकीकृत उपकरण : भारतीय समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक शोधों में परिवारों की यथार्थ सामाजिक-आर्थिक स्थिति के मापन के लिए कई मानकीकृत मापनियों का विकास किया गया है :

- **आर. एल. भारद्वाज सामाजिक-आर्थिक स्थिति मापनी:** डॉ. आर. एल. भारद्वाज द्वारा निर्मित यह मापनी शहरी और ग्रामीण दोनों परिवेशों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। इसमें परिवार की आय, शिक्षा, व्यवसाय, भौतिक संपदा, और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे बहुआयामी चरों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है ।
- **कुप्पुस्वामी सामाजिक-आर्थिक स्थिति मापनी:** यह मापनी विशेष रूप से शहरी जनसंख्या के लिए सर्वाधिक स्वीकृत है। यह परिवार के मुखिया की शिक्षा, व्यवसाय और परिवार की कुल आय के आधार पर समाज को पांच वर्गों में विभाजित करती है: उच्च (अपर), उच्च-मध्यम, निम्न-मध्यम, उच्च-निम्न, और निम्न वर्ग।
- **उदय पारीक और त्रिवेदी मापनी:** यह उपकरण विशेष रूप से ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आय का सटीक आकलन कठिन होता है, इसलिए यह मापनी जाति, भूमि स्वामित्व, कृषि उपकरण, मकान के प्रकार, और परिवार की सामाजिक भागीदारी जैसे नौ कारकों पर आधारित है ।

श्रवण बाधित बालकों पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति का बहुआयामी प्रभाव : सामाजिक-आर्थिक स्थिति और श्रवण बाधिता के मध्य एक अत्यंत गहरा और चक्रीय संबंध है। उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में किए गए चिकित्सा और समाजशास्त्रीय शोधों के आंकड़ों के अनुसार, 'गंभीर से अति गंभीर' श्रवण बाधिता वाले बालकों का अनुपात (लगभग सतहत्तर प्रतिशत) निचली और निचली-मध्यम सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों में सर्वाधिक पाया गया है । इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

- **पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता:** निम्न आय वर्ग के परिवारों में गर्भवती माताओं और शिशुओं को आवश्यक पोषण प्राप्त नहीं होता, जो स्नायविक और श्रवण तंत्र के विकास को बाधित करता है। अज्ञानता के कारण कान के सामान्य संक्रमणों का समय पर इलाज नहीं हो पाता, जो कालांतर में स्थायी श्रवण दोष

में परिवर्तित हो जाते हैं ।

- **प्रारंभिक हस्तक्षेप का अभाव:** उच्च आर्थिक स्थिति वाले माता-पिता अपने बच्चों में श्रवण दोष की पहचान होते ही उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों के पास ले जाते हैं और कॉक्लियर इम्प्लांट जैसी महंगी शल्य चिकित्सा या श्रवण यंत्र उपलब्ध कराते हैं । इसके विपरीत, गरीब परिवारों में बीमारी के निदान में ही वर्षों का विलंब हो जाता है, जिससे बालक का महत्वपूर्ण भाषा अर्जन काल समाप्त हो जाता है ।
- **शैक्षिक पर्यावरण और संसाधन:** उच्च सामाजिक-आर्थिक वर्ग के बच्चे अच्छे समावेशी विद्यालयों में प्रवेश पाते हैं, जहाँ विशेष शिक्षकों की सुविधा होती है। वहीं, गरीब परिवारों के श्रवण बाधित बच्चे अक्सर बाल मजदूरी या घरेलू कार्यों में धकेल दिए जाते हैं, और शैक्षिक संसाधनों के अभाव में उनकी उपलब्धि अभिप्रेरणा कुंठित हो जाती है ।

अध्ययन क्षेत्र का जनसांख्यिकीय एवं शैक्षिक परिदृश्य (प्रयागराज) : किसी भी क्षेत्रीय शोध की प्रामाणिकता और उसके परिणामों की प्रयोज्यता उस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की जनसांख्यिकीय विशेषताओं पर निर्भर करती है। प्रस्तुत शोध का लक्षित अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रमुख और ऐतिहासिक जनपद 'प्रयागराज' (पूर्व में इलाहाबाद) है।

प्रयागराज की भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय रूपरेखा : प्रयागराज जिला गंगा और यमुना नदियों के पावन संगम पर स्थित है। भारत सरकार द्वारा जारी दो हज़ार ग्यारह की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रयागराज जिले की कुल आबादी लगभग उनसठ लाख चौवन हजार तीन सौ नब्बे (59,54,390) है, जो इसे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों में से एक बनाती है।

- **भौगोलिक विस्तार:** जिले का कुल क्षेत्रफल पांच हजार चार सौ बयासी (5,482) वर्ग किलोमीटर है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह जिला आठ तहसीलों, बीस विकास खंडों (ब्लॉकों), दो सौ अठारह न्याय पंचायतों, एक हज़ार सात सौ दस ग्राम पंचायतों और तीन हज़ार एक सौ अठहत्तर ग्रामों में विस्तृत है ।
- **जनसंख्या घनत्व एवं साक्षरता:** यहाँ का जनसंख्या घनत्व एक हज़ार छियासी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले की कुल साक्षरता दर बहत्तर दशमलव तीन (72.3) प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता सत्तर दशमलव दो तीन प्रतिशत और महिला साक्षरता इक्यावन दशमलव नौ पांच प्रतिशत है । साक्षरता दर में यह भारी लैंगिक अंतराल दर्शाता है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शैक्षिक जागरूकता का अभाव है।
- **गरीबी सूचकांक का प्रभाव:** नीति आयोग द्वारा जारी 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स) के अनुसार, उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सर्वाधिक गरीब राज्य है, जहाँ की लगभग अड़तीस प्रतिशत जनसंख्या गरीब और चौवालीस प्रतिशत कुपोषण का शिकार है । यद्यपि प्रयागराज राज्य के सबसे गरीब जिलों में नहीं है, फिर भी इसकी विशाल ग्रामीण आबादी गरीबी और कुपोषण से ग्रस्त है, जो श्रवण बाधिता जैसे विकलांगता कारकों को जन्म देती है।

  प्रयागराज में श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षिक एवं पुनर्वास अवसंरचना : प्रयागराज में दिव्यांग और श्रवण बाधित बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं:

1. राजकीय समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, मेजा : उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज के 'मेजा' क्षेत्र में इस समेकित (इंटीग्रेटेड) विद्यालय की स्थापना की गई है । इस विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और अस्थिबाधित दिव्यांग छात्र-छात्राओं के साथ-साथ सामान्य विद्यार्थी भी एक ही छत के नीचे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं । शैक्षिक सत्र दो हज़ार पच्चीस-छब्बीस के लिए यहाँ कक्षा छह में प्रवेश प्रक्रिया संचालित होती है। प्रवेश हेतु विद्यार्थियों को अपना यूडीआईडी (यूनिक डिसेबिलिटी आईडी) कार्ड, आधार कार्ड, पिछली कक्षा

का अंक पत्र, आय प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं । यह विद्यालय समावेशी शिक्षा का एक उत्कृष्ट मॉडल है, जो दिव्यांग बालकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य कर रहा है।

2. उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, जॉर्ज टाउन : यह विद्यालय प्रयागराज के शहरी क्षेत्र (जॉर्ज टाउन) में स्थित है और विशेष रूप से श्रवण बाधित (मूक और बधिर) बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित है । यह संस्थान केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 'डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन' (डी.एड.) और बी.एड. (विशेष शिक्षा) जैसे पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती हैं । यहाँ से प्रशिक्षित विशेष शिक्षक पूरे राज्य में श्रवण बाधित बच्चों के शैक्षिक विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।

3. निःशुल्क शल्य चिकित्सा एवं उपकरण वितरण योजनाएँ : जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, प्रयागराज द्वारा पांच वर्ष से कम आयु के श्रवण बाधित बच्चों के लिए अत्यंत कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, अधिकृत चिकित्सालयों में 'कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी' पूर्णतः निःशुल्क कराई जाती है । एक श्रवण बाधित बच्चे की इस शल्य चिकित्सा पर लगभग छह लाख रुपये का भारी व्यय आता है, जिसे राज्य सरकार वहन करती है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए गरीब अभिभावकों को विकास भवन में अपना आय प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करना होता है । इसके अतिरिक्त 'एडिप' (ADIP) योजना के अंतर्गत जरूरतमंद दिव्यांगजनों को आधुनिक श्रवण यंत्र भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं ।

अवसंरचनात्मक और भौगोलिक चुनौतियाँ : इन सरकारी प्रयासों के बावजूद, स्थानीय स्तर पर कुछ गंभीर व्यावहारिक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार, मेजा स्थित राजकीय समेकित विद्यालय जिला मुख्यालय से लगभग पचास किलोमीटर दूर एक ग्रामीण और बाहरी क्षेत्र में स्थित है । शहर या अन्य दूरदराज के तहसीलों में रहने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए प्रतिदिन इतनी दूर आवागमन करना लगभग असंभव होता है, क्योंकि उनके अनुकूल सुलभ परिवहन साधनों का घोर अभाव है । परिवहन की इस कठिनाई के कारण, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा रखने वाले कई श्रवण बाधित बच्चे भी इन विशेष विद्यालयों की सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं।

संबंधित पूर्व साहित्य की समीक्षा : किसी भी नवीन शोध का आधार पूर्व में किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों और साहित्य की गहन समीक्षा पर टिका होता है। यह समीक्षा वर्तमान अध्ययन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती है और शोध अंतरालों (रिसर्च गैप्स) की पहचान करने में सहायता करती है। श्रवण बाधित विद्यार्थियों, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, और मनोवैज्ञानिक चरों के अंतर्संबंधों पर किए गए प्रमुख शोधों का विवरण निम्नलिखित है:

शैक्षिक अभिप्रेरणा और सामाजिक-आर्थिक स्तर के मध्य संबंध : शोधकर्ता कृष्ण कुमार जायसवाल (2020) द्वारा कुशीनगर एवं उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण मात्रात्मक सर्वेक्षण शोध किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य निम्न, मध्यम और उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिप्रेरणा का तुलनात्मक विश्लेषण करना था। शोध के निष्कर्षों ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया कि शैक्षिक अभिप्रेरणा का स्तर निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के विद्यार्थियों में सबसे कम पाया गया। इसके विपरीत, मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों में यह स्तर थोड़ा अधिक था, और उच्च स्तरीय घरों से आने वाले विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा सर्वाधिक थी । उच्च वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शैक्षिक संसाधन, निजी ट्यूशन और अनुकूल घरेलू वातावरण प्रदान करते हैं, जो सीधे तौर पर बच्चे की अभिप्रेरणा को उच्च स्तर पर ले जाता है। यद्यपि कुछ निम्न वर्गीय विद्यार्थियों में भी उच्च अभिप्रेरणा देखी गई (जो वैयक्तिक भिन्नता

को दर्शाता है), परंतु उनकी संख्या सांख्यिकीय रूप से नगण्य थी ।

संवेगात्मक बुद्धि, आत्म-सम्प्रत्यय और उपलब्धि अभिप्रेरणा : ज्योत्सना गढ़पायले एवं अन्य (2017) द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों पर किए गए एक अध्ययन में बीना शाह (1996) द्वारा निर्मित 'उपलब्धि अभिप्रेरणा मापनी' और मंगल एवं मंगल (2012) द्वारा निर्मित 'संवेगात्मक बुद्धि मापनी' का प्रयोग किया गया। अध्ययन के प्रसरण विश्लेषण (अनोवा) से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा के आयाम (विशेषकर 'शैक्षिक सफलता की आवश्यकता') पर उनके आत्म-सम्प्रत्यय (स्वयं के प्रति दृष्टिकोण) और संवेगात्मक बुद्धि का सार्थक और स्वतंत्र प्रभाव पड़ता है ।

एक अन्य शोध में बबली आर. रश्मि (2013) और नीमा मिश्रा के अध्ययनों ने यह प्रमाणित किया है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों (जैसे- समानुभूति और संबंधों का संचालन) का शैक्षिक उपलब्धि और अभिप्रेरणा के साथ गहरा धनात्मक सहसंबंध है । श्रवण बाधित बालकों के संदर्भ में यह अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रवण दोष के कारण इन बच्चों में अक्सर कुंठा और हीन भावना घर कर जाती है, जिससे उनका आत्म-सम्प्रत्यय नकारात्मक हो जाता है और फलस्वरूप उनकी उपलब्धि अभिप्रेरणा गिर जाती है ।

माता-पिता की जागरूकता एवं प्रारंभिक हस्तक्षेप का प्रभाव

अमरकेश महेंद्रू एवं प्रो. रामाश्रय चौहान के अध्ययन (जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के श्रवण मूल्यांकन शिविरों के डेटा पर आधारित था) ने श्रवण बाधित बच्चों के अभिभावकों के सम्मुख आने वाली सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि श्रवण हानि का प्रारंभिक निदान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बचपन में श्रवण क्षमता को खोने से संज्ञानात्मक कौशल और शैक्षणिक उपलब्धि बुरी तरह प्रभावित होती है। शोध के अनुसार, निम्न जागरूकता और निम्न आय वर्ग वाले माता-पिता अक्सर श्रवण दोष के सत्य को स्वीकार करने में विलंब करते हैं, जिसके कारण बच्चों को समय पर 'नवजात श्रवण जांच' (यूएनएचएस) और श्रवण यंत्र का लाभ नहीं मिल पाता है । यह विलंब बच्चे के पूरे शैक्षिक जीवन को अंधकारमय बना देता है।

पूर्व साहित्य की यह व्यापक समीक्षा इस तथ्य की स्पष्ट पुष्टि करती है कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को समझने के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक परिवेश का विश्लेषण अनिवार्य है, जो इस प्रस्तुत शोध का मुख्य आधार है।

निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ एवं भविष्य के दिशा-निर्देश : प्रयागराज जनपद के श्रवण बाधित विद्यार्थियों के विशेष संदर्भ में किए गए इस विस्तृत साहित्यावलोकन, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विश्लेषण, जनसांख्यिकीय मूल्यांकन की रूपरेखा के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष और दूरगामी शैक्षिक निहितार्थ उद्घाटित होते हैं।

प्रमुख अध्ययन निष्कर्ष

1. **सामाजिक-आर्थिक स्थिति की निर्णायक भूमिका:** यह अध्ययन अकाट्य रूप से स्पष्ट करता है कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक विकास, आत्म-सम्प्रत्यय और शैक्षिक ललक (उपलब्धि अभिप्रेरणा) में उनके परिवार की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि एक अत्यंत निर्णायक और परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है। उच्च आर्थिक और शैक्षिक संसाधन वाले परिवार अपने बच्चों की श्रवण अक्षमता का प्रारंभिक चरण में ही पता लगा लेते हैं। वे बच्चों को समय पर कॉक्लियर इम्प्लांट, डिजिटल श्रवण यंत्र और निजी विशेष शिक्षकों की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। इसके फलस्वरूप, मैकक्लेलैंड के सिद्धांत के अनुसार, इन विद्यार्थियों में 'सफलता प्राप्ति की आवश्यकता' अत्यंत उच्च बनी रहती है ।
2. **निम्न वर्ग की दोहरी पीड़ा और कुंठित अभिप्रेरणा:** इसके विपरीत, निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग से आने वाले श्रवण बाधित बालक समाज में दोहरे अभिशाप का सामना करते हैं-एक ओर उनकी शारीरिक (श्रवण) अक्षमता और दूसरी ओर घोर आर्थिक वंचना। कुपोषण, माता-पिता की अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी अज्ञानता और भारी आर्थिक दबावों के कारण इन विद्यार्थियों में गहरी निराशा, कुंठा और हीन भावना उत्पन्न होती है।

मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार, जब इनकी बुनियादी और सुरक्षा आवश्यकताएं ही पूरी नहीं होतीं, तो इनकी 'उपलब्धि अभिप्रेरणा' निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती है ।

3. **संस्थागत असंतुलन एवं भौगोलिक बाधाएं:** प्रयागराज जिले में विशेष शिक्षा के लिए आधारभूत ढांचा विद्यमान है (जैसे मेजा का समेकित विद्यालय और जॉर्ज टाउन का मूक बधिर विद्यालय)। परंतु, जिले के विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल (पाँच हजार चार सौ बयासी वर्ग किलोमीटर) और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से इन विद्यालयों की दूरी एक बहुत बड़ी व्यावहारिक बाधा सिद्ध होती है । सुलभ परिवहन के अभाव में, निम्न आय वर्ग के अभिभावक अपने श्रवण बाधित बच्चों को इन विद्यालयों में नियमित रूप से भेजने में पूरी तरह असमर्थ रहते हैं, जिससे इन बच्चों का शैक्षिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।

शैक्षिक निहितार्थ एवं नीतिगत संस्तुतियाँ : इस अध्ययन के निष्कर्षों के आलोक में शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, मनोवैज्ञानिकों और नीति-निर्माताओं के लिए निम्नलिखित संस्तुतियाँ प्रस्तावित हैं, जिन्हें धरातल पर उतार कर समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है:

- **जागरूकता अभियानों और आर्थिक अनुदान का विस्तार:** यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए निःशुल्क शल्य चिकित्सा योजना चलाई जा रही है, तथापि प्रयागराज के ग्रामीण ब्लॉकों (जैसे शंकरगढ़, कोरांव आदि) में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार अत्यंत आवश्यक है। 'भारद्वाज' या 'उदय पारीक' मापनी के अनुसार जो परिवार निम्नतम सामाजिक-आर्थिक स्तर पर आते हैं, उन्हें केवल सर्जरी ही नहीं, बल्कि श्रवण यंत्रों की बैटरी, विशेष शिक्षण सामग्री और विद्यालयों तक आवागमन हेतु अतिरिक्त 'मासिक परिवहन अनुदान' भी प्रदान किया जाना चाहिए ।
- **विकेंद्रीकृत समावेशी शिक्षा प्रणाली:** श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए पचास किलोमीटर दूर मेजा या मुख्य शहर के केंद्रों तक न जाना पड़े, इसके लिए प्रयागराज के सभी बीस विकास खंडों (ब्लॉकों) और दो सौ अठारह न्याय पंचायतों में स्थित सामान्य सरकारी विद्यालयों को 'संसाधन कक्षों' (रिसोर्स रूम्स) और विशेष शिक्षकों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के समावेशी दृष्टिकोण के पूर्णतः अनुरूप होगा ।
- **सतत मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं अभिप्रेरण कार्यक्रम:** विद्यार्थियों की कुंठित उपलब्धि अभिप्रेरणा को पुनर्जीवित करने के लिए विद्यालयों में नियमित रूप से मनोवैज्ञानिक परामर्श सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे 'प्रतिभा देव और आशा मोहन उपलब्धि अभिप्रेरणा मापनी' जैसे मानकीकृत उपकरणों का उपयोग कर शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में ही कम अभिप्रेरित विद्यार्थियों की पहचान कर लें। पहचान के पश्चात, उन्हें सकारात्मक पुनर्बलन, स्नेह और स्वतंत्र वातावरण प्रदान कर उनकी अभिप्रेरणा को उच्च किया जा सकता है।
- **सामान्य शिक्षकों का संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण:** समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि सामान्य विद्यालयों के शिक्षकों को भी 'भारतीय सांकेतिक भाषा' (इंडियन साइन लैंग्वेज) का कम से कम आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाए । शिक्षकों का सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण श्रवण बाधित बालकों के आत्म-सम्प्रत्यय को सुदृढ़ करता है और उनमें शैक्षिक उपलब्धि के प्रेरक को तीव्रता से विकसित करता है।

अंततः, यह मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक सत्य निर्विवाद है कि श्रवण बाधिता कोई बौद्धिक या मानसिक अक्षमता नहीं है; यह केवल संप्रेषण के मार्ग है। यदि समाज, राज्य प्रशासन और शैक्षिक संस्थाएं मिलकर इन विद्यार्थियों के मार्ग में आने वाली सामाजिक-आर्थिक विषमताओं की खाई को पाट सकें, और उन्हें एक पूर्णतः समावेशी, संसाधन-युक्त, और मनोवैज्ञानिक रूप से अभिप्रेरित वातावरण प्रदान कर सकें, तो ये श्रवण बाधित विद्यार्थी भी शिक्षा के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करने में सक्षम हैं। इनकी प्रसुप्त उपलब्धि अभिप्रेरणा को जाग्रत कर,

हम न केवल उन्हें एक आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन दे सकते हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में उनकी अमूल्य भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकते हैं ।

संदर्भ :

1. गढ़पायले, ज्यो., अग्रवाल, प., एवं पुरकर, शो. (2017). उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा के आयाम 'शैक्षिक सफलता की आवश्यकता' पर आत्म सम्प्रत्यय व संवेगात्मक बुद्धि का प्रभाव. जर्नल ऑफ रविशंकर यूनिवर्सिटी, 23(1)।
2. जायसवाल, कृ. कु. (2020). माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिप्रेरणा पर उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर के प्रभाव का अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, 3(1), 227-232।
3. देव, प्र., एवं मोहन, आ. (1995). उपलब्धि अभिप्रेरणा मापनी (मैनुअल). नेशनल साइकोलॉजिकल कारपोरेशन।
4. भारद्वाज, आर. एल. (2001). सामाजिक-आर्थिक स्थिति मापनी. नेशनल साइकोलॉजिकल कारपोरेशन।
5. मंगल, एस. के. (2009). शिक्षा मनोविज्ञान. पी. एच. लर्निंग।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति. (2020). मानव संसाधन विकास मंत्रालय. भारत सरकार।
7. सिंह, अ. कु. (2005). मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां. मोतीलाल बनारसीदास।

•